

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 564/भू अ०

दिनांक : 9/6/018


चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—माधोपुर, थाना—मोहनपुर, थाना सं०—526, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना रिखिया से मोहनपुर (एन० एच० 133 पर) पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—माधोपुर, थाना—मोहनपुर, थाना सं०—526, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मावेश 0.23 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	66	रैयती	धानी-3	0.01	भुनेश्वर मोदी वो मुंशी मोदी पे० झारी मोदी वो चमेली देवी पति ननुबाबू मोदी वो चन्दा देवी पति हनुमान मोदी अंश समान सादेह।	रतन पुर 517	अर्जित रकवा का अंश	फतेहपुर 499	बाबुपुर 525
2	11	3	रैयती	बाड़ी-2	0.10	बमशंकर मोदी पे० रूपलाल मोदी सा०—माधोपुर।				
3	11	22	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
4	12	4	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
5	11	1	रैयती	धानी-3	0.06	अनिल मोदी वो सुरेश मोदी पे० गौरी मोदी वो सिकन्दर मोदी वो अशोक मोदी वो प्रकाश मोदी पे० बैकुण्ठ मोदी वो शांति देव्या पति रामचन्द्र मोदी वो केदार मोदी वो मटुकी मोदी वो शंकर मोदी पे० जगदीश मोदी सुमा देवी पति भुनेश्वर मोदी वो सावित्री देवी पति धनेश्वर मोदी वो महेश्वर मोदी वो जागेश्वर मोदी पे० हरि मोदी वो रणधीर मोदी पे० महेन्द्र मोदी वो रामेश्वर मोदी वो प्रेम मोदी वो मोती मोदी पे० कैलाश मोदी वो नुनवती देवी पति लक्ष्मण मोदी अंश समान सा० माधोपुर।				
6	11	23	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव।				
कुल रकवा—					0.23					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


8/6/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 564..... / भू अ०, देवघर, दिनांक 9/6/018.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


8/6/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।